Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

दुर्गाशंकर वगैराह **बनाम** **सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 1908**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)**	नं0 **091**	सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2023	पत्रावली अधिवक्ता ओपी टेलर ने पेश की जो कि बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता ओपी टेलर हाजिर। हमने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी को प्रार्थना–पत्र दर्ज के बिन्दु पर सुना गया। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) सपठित धारा 3 एच(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत खिलाफ अतिरिक्त कलक्टर के अवार्ड आदेश दिनांक 13.12.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो कि बरोज सुनवाई दिनांक 25.07.2023 को अधिवक्ता प्रार्थी का अन्य आवश्यक कार्य एवं स्वास्थ्य कारणों से वक्त सुनवाई न्यायालय में उपस्थित नहीं रह सका तथा प्रार्थी भी ग्रामीण परिवेश का साक्षर व्यक्ति होने एवं कानूनी जानकारी की अनभिज्ञता के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा अपनी अनुपस्थिति बाबत् अधिवक्ता से सम्पर्क भी नहीं कर पाया इसलिए वक्स सुनवाई अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी के साथ ही निरस्त करते हुए प्रार्थना–पत्र का गुणावगुण पर निस्तारण करने का आदेश पारित कर दिया गया। जबकि उक्त प्रकरण में न्यायालय आप द्वारा प्रार्थी व अधिवक्ता की कोई गुणावगुण पर कोई बहस नहीं सुनी गई। अपीलांट/प्रार्थी की अनुपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णय करने का जो आदेश पारित किया गया है उस पर उसे निरस्त किया जाकर अपीलांट/प्रार्थी की बहस सुनी जाना आवश्यक होने से आवेदन पेश है। अतः आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाने का आदेश दिलाया जाकर न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 25.07.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिवाए जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जोन का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस एडमिशन समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णय दिनांक 25.07.2023 का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। निर्णय दिनांक 25.07.2023 के पृष्ठ संख्या 7 के पैरा संख्या 3 में अनुसार दिनांक 11.01.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिया गया। इसके पश्चात् सुनवाई दिनांक 25.07.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी हाजिर नहीं रहे। न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अधिवक्ता प्रार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान किया गया है जो कि निर्णय दिनांक 25.07.2023 से प्रमाणित है। न्यायालय निर्णय दिनांक 25.07.2023 से जाहिर आता है कि अधिवक्ता अपीलार्थी की दिनांक 25.07.2023 को अनुपस्थिति होने के बावजूद न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में उठाये गये समस्त तथ्यों को संयोजित करते हुए तथ्यों का यथा सम्मान किया जाकर प्रकरण में निस्तारण पूर्ण रूप से गुणागुण पर किया गया है। इसके साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 सपठित धारा 151 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 व्यतिक्रम के लिए खारीज की गई अपील को पुनः ग्रहण करने के प्रावधान प्रावधित है, किन्तु निर्णय दिनांक 25.07.2023 के अवलोकन से जाहिर आता है कि हस्तगत प्रकरण को आदेश 41 नियम 11(2) एवं आदेश 41 नियम 17 जा0दी0 के तहत खारीज नहीं किया जाकर निर्णय पूर्ण रूप से उभयपक्षकारान द्वारा उठाये गये तथ्यों का यथोचित सम्मान करते हुए पूर्ण विवेचन के साथ न्यायिक निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रार्थी के पास सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने का अधिकार है। इसके साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस आवेदन के माध्यम से इस तथ्य को उठाया गया है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं गया है। इस संबंध में हम अन्तर्गत आदेश 47 जा0दी0 के प्रावधानों के तहत निर्णय पर पुर्नविलोकन किये जाने के संबंध में गहनता पूर्वक निर्णय दिनांक 25.07.2023 का पुनः परीक्षण करने के उपरांत हमारा ठोस अभिमत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 47 नियम 1 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित डिक्री या किए गये आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए वह उस न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा जिसने वह डिक्री पारित की थी या वह आदेश किया था। पुनर्विलोकन विधि के प्रावधानों के तहत निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसे कोई ठोस	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Form No. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय माध्यस्थम् अधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

दुर्गाशंकर वगैराह **बनाम** **सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **आदेश 41 नियम 19 जा0दी0 1908**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र (रे.वि.)**	नं0 **091**	सन् **2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि निर्णय दिनांक 25.07.2023 में किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हाया विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानवतावश, पारित किया गया हो। इसके साथ ही ऐसी कोई नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता नहीं चला है जिसके सम्यक् तत्परता के प्रयोग के पश्चात् उस समय जब आदेश किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया जा सका था, या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में यह साबित कराये जाने में असफल रहा है कि प्रार्थी अन्य किसी पर्याप्त कारणों से न्यायालय आदेश दिनांक 25.07.2023 का पुनर्विलोकन किया जाए। प्रार्थी यह साबित कराये जाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि निर्णय दिनांक 25.07.2023 का पुनर्विलोकन अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 जा0दी0 के तहत सुसंगत हो, ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् आदेश 41 नियम 19 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध प्रकरण संख्या 048/2015 (रा0अ0) आदेश दिनांक 25.07.2023 एडमिशन स्तर पर ही सारहीन होना पाया जाता है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् आदेश 41 नियम 19 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 विरूद्ध प्रकरण संख्या 048/2015 (रा0अ0) आदेश दिनांक 25.07.2023 को सारहीन होने से ग्राह्यता(एडमिशन) के स्तर पर ही खारीज किया जाता है। अपीलार्थी/प्रार्थी सक्षम अपीलीय न्यायालय से चाराजोही प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। प्रार्थना पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जावें। तद्नुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। निर्णय को ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। आदेश सुनाया गया। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official **-S/d-** (पीयुष समारिया) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 22.08.2023	